Removal of Women Gram Pradhans Through No-Confidence Motions

1449. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that males are trying to remove most of the women Gram Pradhans in the country through no-confidence motions, especially in Ut tar Pradesh;

(b) if so, the measures proposed to check such practice; and

(c) the steps proposed to ensure that any such vacancies, reserved for women in Panchayats, are filled by women only?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHAN-DRADEO PRASAD VERMA): (a) No such cases have been reported from the States especially Uttar Pradesh.

(b) Does not arise.

(c) As per Article 243-D of the Constitution, not less than one-third of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat. It also provides that not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women and allotted by rotation to different Panchayats at each level. The above provisions ensure that vacancies reserved for women in Panchayats are filled by women only.

गुजरात के राजकोट तालुका में मूलभूत सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता

1450. श्री चीमनभाई हरी भाई शुक्ला : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मेंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में राजकोट तालुका के रैयया ग्रामीण-शहरी क्षेत्र और जामनगर शहरी विकास निगम के अन्तर्गत आने वाले आवसीय क्षेत्रों में पेयजल, सडके तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है,

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ड) अनुमोदित/स्वीकृत केन्द्रीय सहायता को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ड) 4-5 जुलाई 96 के दौरान नई दिल्ली में न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के संबंध में मुख्य-मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त के लिए सिफारिशें स्वीकार की गई,

(1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की 100% कवरेज।

(2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं की 100% कवरेज

(3) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक।

(4) सभी आवास-हीन गरीब परिवारों के लिए लोक आवास सहायता की व्यवस्था करना।

(5) प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन देने के कार्यक्रम को सभी ग्रामीण विकास-खंडो और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों और उपेक्षित वर्गो के लिए लागू करना।

(6) सड़क से न जुडें सभी गांवों और बसावटों को सड़कों से जोडने की व्यवस्था।

(7) गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनान।

इसके अलावा योजना आयोग ने 1996-97 के दौरान न्यूनतम बुनियादी सेवाओं और झुग्गी-झोपड़ी विकास योजना के लिए गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों हेतु 2494.49 करोड़ रूपए की राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का विशेष प्रावधानक किया किया है। उपर्युक्त राशि में से न्यूनतम बुनियादी सेवाओं (52.58 करोड़ रूपए) तथा झुग्गी-झोपड़ी विकास योजना (14.27 करोड़ रूपए) के लिए 1996-97 के दौरान गुजरात राज्य का अंश 66.85 करोड़ रूपए है। सभी राज्य सरकारे सेवाओं क्षेत्रों, कार्यक्रमों, इलाकों आदि के लिए अपनी